

**FORM - II**

(For projects other than linear projects)

**Government of Madhya Pradesh**

Office of the District Collector Sagar

No. 1487...

Dated. 1.1.2010.

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **2.50 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Netna Jalasya (purpose for diversion of forest land) in Sagar District falls within jurisdiction of Gram panchayat Netna & Pehrgua (s) in Malthone tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under FRA has been carried out for the entire 2.50 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(S), Sub-Division Level Committee(S) and the District level Committee are enclosed as annexure-1 to annexure-6
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language ) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities /processes under the FRA have been carried out and they have given their consent to proposed division and compensation and ameliorative measures, if any having understood the purposed and details of proposed division, A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Netna & Pehrgua villages (s) is enclosed as Annexure-I to annexure-6
- (d) The discussion and decision of such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of member of Grama Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it;
- (f) The right of primitive Tribal Ground and Pre Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As above.

(A.K. Singh)  
Collector  
Sagar (M.P.)



कार्यालय ग्राम पंचायत

पडरुवा

कार्यवाही

तहसील गाल्मोग जिला कागार माह अंग्रेज वर्ष १९५२

शुक्रिपट्टर

की गई सविन

कार्यवाही

कार्यवाही का क्रम

कार्यवाही का क्रम

क्र.सं.	उपस्थित कर्म के नाम	संयोजित विषय	कार्यवाही
---------	---------------------	--------------	-----------

क्र.सं.	कार्यवाही का क्रम	कार्यवाही का क्रम
---------	-------------------	-------------------

क्र.सं.	कार्यवाही का क्रम
---------	-------------------

उपस्थित कर्म के नाम

कार्यवाही

कार्यवाही का क्रम

कार्यवाही का क्रम

कार्यवाही का क्रम

उपस्थित कर्म के नाम

कार्यवाही

कार्यवाही का क्रम

कार्यवाही का क्रम

कार्यवाही का क्रम

कार्यवाही

कार्यवाही का क्रम

कार्यवाही का क्रम

कार्यवाही

कार्यवाही का क्रम

कार्यवाही

कार्यवाही का क्रम

कार्यवाही

कार्यवाही का क्रम

कार्यवाही

कार्यवाही का क्रम



**कार्यालय ग्राम पंचायत, नेतना**  
**विकासखंड मालथौन, तहसील जिला-सागर (म.प्र.)**

**ग्राम सभा का सहमति पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि :-


1. जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर के अंतर्गत नेतना जलाशय योजना का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम नेतना आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र वनखंड नेतना के कक्ष क्र. आर.एफ. 208 कुल वन क्षेत्र के रकबा 2.5 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र खसरा क्र. निरंक में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।


2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।

3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है, ग्राम सभा व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझा लिया है।

4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न :- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

  
राजेंद्र सिंह  
ग्राम पंचायत महरगुवा  
वि.ख. मालथौन जि. सागर

  
राजेंद्र सिंह  
ग्राम पंचायत महरगुवा  
वि.ख. मालथौन जि. सागर